न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 08 / 2025

उनवान

1. लाडा देवी पत्नि स्व0 समदा
2. रामकुवांर पुत्र समदा
3 मनोज पुत्र समदा
4 मामराज पुत्र समदा
   जाति गुर्जर निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
5 हंसादेवी पुत्री समदा पत्नि महेन्द्र जाति गुर्जर निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी नीबी भानपुर कलां तह0जमवारामगढ़ जिला जयपुर

– प्रार्थीगण / आवेदकगण

बनाम

1 गिरधारी पुत्र लक्ष्मीनारायण
2 रमेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
3 राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण
4 सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण
5. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

–अप्रार्थीगण

6 लक्ष्मी देवी पुत्र समदा पत्नि मुकेश
7 ममता देवी पुत्री समदा पत्नि गिरधारी
   जाति गुर्जन निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हॉल निवासी ढाणी हेमावाली तन भाबरू तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांक 02/07/25

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हम हम आपके उपखण्ड में भूमी धारण कर रहे है तथा खातेदार अभिधारी है और मैं हम हमारी जोत में पहुँच के प्रयोजन के लिए खातेदार अप्रार्थी सं0–1 लगायत 4 के खसरा नं0–1928 रकबा 0.54, 1928 / 8595 रकबा 0.51 है० वाकै ग्राम प्रतापपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है इसलिये हमने राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम सं0–3) की धारा–251 ए की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करते है।
आवेदक की आराजी खसरा नं0–1873 व 1874 / 2 की पूर्वी सीमा की ओर अप्रार्थीगण की भूमि अवस्थित है जिसके पूर्व दिशा में ख0नं0 1945 एन एच 48 उत्तर दक्षिण मनोहरपुर से खोजावाला तक मुख्य सड़क जा रही है, जबकि ख0नं0 1873 व 1874 / 2 की पूर्वी सीमा पर अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1928, 1928 / 8595 अवस्थित है जिसकी पश्चिमी सीमा पर प्रार्थीगण व तरतीबी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अवस्थित है जिसमें आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है इस कारण रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से 15 फुट चोडा व 420 फुट लम्बा रास्ता चिन्हित किया जाकर सरकारी दर पर अदा करने को तैयार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

फरमाया जाकर प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 की ओर से श्री नरेश कुमार आत्रेय अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर प्रकरण में उपस्थित आये । प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्रांक/रीडर/2025/1198 दिनांक 13.6.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में वकी अप्रार्थीगण की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर वकील प्रार्थी ने जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस करने के निवेदन पर प्रकरण में आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु नीयत किया गया ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।वकील अप्रार्थी/आपत्तिकर्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगणो को बिना सूचना के तैयार कर मूलभूत सिद्वान्तो व कानून में बने प्रावधानो के विपरीत पेश की गई है । प्रार्थीगण की भूमि जाने हेतु पहले से सुगम रास्ता पूर्व दिशा की तरफ से सुचारू रूप से मौके पर चालू है व उक्त रास्ता जो बिशनगढ रोड से प्रभूनिवास होता हुआ तेजाजी की ढाणी प्रतापपुरा तक जा रहा है जो ख0नं0 1875, 1867, 1869 को टच होता हुआ प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 1873, 1874/2 तक जा रहा है व वर्तमान में चालू है, तथा रास्ता पक्की सीसीरोड से निर्मित है जिसका शिलान्यास तत्कालीन विधायक महोदय द्वारा दिनांक 16.9.2023 को किया गया था । वकील अप्रार्थी ने मौके पर रास्ता चालू होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया ।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में इसका खण्ड्न करते हुए जाहिर किया पडौसी काश्तकार जाने नहीं देते है तथा रिकार्डेड रास्ता नहीं होने से अप्रार्थीगण की आपत्ति खारिज कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात्, प्राप्त तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत एवं बाद बहस मनन उपरांत जाहिर होता है कि प्रश्नागत विवादित आराजीयात् में रास्ता चाहा गया है, जिसके सम्बन्ध में पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से चस्पा होने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु पहले से रास्ता मौजूद है तथा यदि खातेदार/काश्तकार के पास रास्ता मौजूद होने पर दिगर खातेदार की भूमि में रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02/07/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(संजीव कुमार खेदड़)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)